न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 119/2022

बाबुलाल पिता मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ———वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता लालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. घनश्याम पिता मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. नारायण पिता मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. संगीताबाई पुत्री मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

———प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 88,53,209 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :— 1— जगदीशचन्द्र मेनारिया— अधिवक्ता वादी
2— प्रतिवादीगण — योगेन्द्र सौलंकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

::निर्णय:: दिनांक 13.09.22

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88,188 राज0टि0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजीयात वाके ग्राम भावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 के खाता नं0 204 की आराजी नं0 200 रकबा 0.5100 हेक्टेयर लगानी 9 रुपये 69 पैसा, आराजी नं0 504 रकबा 0.4400 हेक्टेयर लगानी 18 रुपये 48 पैसा, आराजी नं0 508 रकबा 0.8800 हे0 लगानी 16 रुपये 72 पैसा, आराजी नं0 510 रकबा 0.3100 हे0 लगानी 93 पैसा, आराजी नं0 754 रकबा 1.2300 हे0 लगानी 14 रुपये 76 पैसा, आराजी नं0 465 रकबा 1.5900 हे0 लगानी 19 रुपये 08 पैसा, आराजी नं0 787 रकबा 1.3000 हे0 लगानी 15 रुपये 60 पैसा, कुल किता 7 कुल रकबा 6.2600 हेक्टेयर कुल लगानी 95 रुपये 26 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार वाके ग्राम भावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 के खाता नं0 205 की आराजी नं0 199/923 रकबा 0.3300 हेक्टेयर लगानी 6 रुपये 27 पैसा, आराजी नं0 436 रकबा 0.1100 हेक्टेयर लगानी 1 रुपये 32 पैसा, आराजी नं0 454 रकबा 0.2600 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 94 पैसा, आराजी नं0 513 रकबा 2.0200 हेक्टेयर लगानी 19 रुपये 19 पैसा, आराजी नं0 528 रकबा 0.7000 हेक्टेयर लगानी 8 रुपये 40 पैसा, आराजी नं0 529 रकबा 0.2200 हेक्टेयर लगानी 66 पैसा, आराजी नं0

753 रकबा 0.1700 हेक्टेयर लगानी 1 रुपये 62 पैसा, आराजी नं0 757 रकबा 1.4200 हेक्टेयर लगानी 17 रुपये 4 पैसा, कुल किता 8 कुल रकबा 5.2300 हेक्टेयर कुल लगानी 59 रुपये 44 पैसा स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात हैं जो वादी के दादा लाल जी के जमाने से चली आ रही हैं। लाल जी का देहान्त हो गया हैं, लाल जी के वैध उत्तराधिकारी उनके पुत्र मांगीलाल प्रतिवादी नं0 1 हैं, प्रतिवादी नं0 1 मांगीलाल के तीन पुत्र वादी बाबुलाल व प्रतिवादी नं0 2 घनश्याम प्रतिवादी नं0 3 नारायण एवं एक पुत्री प्रतिवादी नं0 4 संगीता बाई हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादी के दादा लाल जी के जमाने की पु तैनी पैतृक आराजीयात हैं वादग्रस्त आराजीयात में वादी का जन्म से अधिकार निहित होकर वादी का उक्त आराजीयात में बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित हैं। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी नं0 1 के हक हिस्से मे वादी व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5–1/5 हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 204 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं 04 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 30 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं 04 का 1/5 हक हिस्सा निहित है, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 205 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 4 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, तथा उक्त हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार भूमि वादी के नाम घौषित करा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है तथा वादी के हक हिस्से से इंकार हो गये है इसलिए वादी ववादग्रस्त खाता नं0 204 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं 04 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 30 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं 04 का 1/5 हक हिस्सा निहित है, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 205 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 4 का 1/5 हक हिस्से की घौषणा कराने का अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है इसलिए प्रतिवादी न0 1 के दर्ज राजस्व रेकार्ड में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 4 का 1/5 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 अपने अपने हक हिस्से अनुसार संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने से वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 को उक्त आराजीयात की घौषणा करा कर वादी का नाम खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी नं0 1 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 टाल चाल कर रहा है और वादग्रस्त आराजीयात की घौषणा करा वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने से इंकार हो गया है तथा वादी को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर

आमादा है। प्रतिवादी नं0 1 दिगर प्रतिादीगणो के बहकावे में आकर वादी की पुश्तैनी पैतृक भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा है, तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा है व वादी एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी नं0 1 को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादी नं0 1 किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्र्ड कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जारी किये गये तथा प्रतिवादीगण व वादी ने उपरोक्त पत्रावली में राजीनामे हेतु निवेदन किया जिस पर पत्रावली तलब की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी नं0 1 के हक हिस्से मे वादी व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5–1/5 हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 204 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं 04 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 205 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 4 का 1/5 हक हिस्सा घौषित करा मौके पर काबिज अनुसार घौषित कर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम अमल दरामद किये जाने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नही हैं।

राजीनामे अनुसार वादी का वाद कतई डिक्री किये जाने में किसी प्रकार से कोई भी कानुनी बाध्यता नही है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें व खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

मूल वाद में अन्तिम डिग्री

(व्य प्र.सं.के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 119/2022

बाबुलाल पिता मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ———वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता लालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. घनश्याम पिता मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. नारायण पिता मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. संगीताबाई पुत्री मांगीलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

———प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :— 1— जगदीशचन्द्र मेनारिया— अधिवक्ता वादी
2— प्रतिवादीगण — योगेन्द्र सौलंकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक 13.09.22

::निर्णय::

वादी की और से श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया एडवोकेट प्रतिवादीगण की और से श्री योगेन्द्र सौलंकी एडवोकेट की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 13.09.2022 को प्रतिवादीगण व वादी ने उपरोक्त पत्रावली में राजीनामे हेतु निवेदन किया जिस पर पत्रावली तलब की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी नं0 1 के हक हिस्से मे वादी व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5—1/5 हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 204 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं 04 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं0 205 में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/5 हक हिस्सा,

प्रतिवादी नं0 4 का 1/5 हक हिस्सा घौषित करा मौके पर काबिज अनुसार घौषित कर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम अमल दरामद किये जाने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नही हैं ।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें व खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

यह आज दिनांक 13.09.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा